कार्यालय आदेश सं० 77 दिनांक 15 मई, 2020

आगरा छावनी परिषद के द्वारा छावनी निर्वाचन नियमावली 2007 के अंतर्गत वर्ष 2020 में भी कोरोना वायरस वैश्विक महामारी (कोविड–2019) के कारण लॉकडाउन में वोटर लिस्ट के पुनिरीक्षण का कार्य दिनांक 18.05.2020 से प्रारम्भ किया जायेगा। जिसमें निम्नलिखित प्रगणक व सुपरवाइजर की नियुक्ति की गयी है :–

1.	छावनी क्षेत्र	डा0 अशोक कुमार शर्मा	कार्यालय अधीक्षक	पर्यवेक्षक I
2.	छावनी क्षेत्र	श्री अविनाश कुमार पाठक	अध्यापक / कैशियर	पर्यवेक्षक II
3.	वार्ड संख्या–I	श्री प्रदीप कुमार	सहायक अध्यापक	छा0प0वि0,नई बस्ती
4.	वार्ड संख्या–II	श्री अजयवीर सिंह	सहायक अध्यापक	रेनबो पब्लिक स्कूल, ताज रोड़
5.	वार्ड संख्या–III	डॉ0 लीलाधर यादव	सहायक अध्यापक	पूर्व माध्यमिक वि0, सदर
6.	वार्ड संख्या–IV	श्री सी0 पी0 एस0 राजपूत	सहायक अध्यापक	पूर्व माध्यमिक वि0, सदर
7.	वार्ड संख्या–V	श्री सी0 पी0 सिंह	सहायक अध्यापक	छा0प0वि0, सुल्तानपुरा
8.	वार्ड संख्या–VI	श्री कुँमर सैन	सहायक अध्यापक	कैंट इण्टर कालेज, सुल्तानपुरा
9.	वार्ड संख्या–VII	श्री रामवीर सिंह	सहायक अध्यापक	छा0प0वि0, काछीपुरा
10.	वार्ड संख्या–VIII	डॉ0 रविन्द्र कुमार शर्मा	सहायक अध्यापक	छा0प0वि0, काछीपुरा

छावनी क्षेत्र के आठ वार्डो में प्रत्येक प्रगणक अपनी सेवाएं 18/05/2020 से विद्यालय परिसर में देंगे। तत्पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र, आपत्ति व सुझाव का मौके पर निरीक्षण किया जायेगा तथा वोटर लिस्ट में नाम लिखने से पूर्व सुपरवाइज़र के साथ प्रत्येक वार्ड में निरीक्षण कार्य की समीक्षा की जायेगी। वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये लॉकडाउन समय में इस वर्ष से वोटर लिस्ट छावनी परिषद आगरा की वेब–साइड www.cbagra.org.in पर उपलब्ध है तथा नागरिक नाम बढ़ाने का प्रपत्र ए–1 डाउनलोड करके प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गयी है जिसकी हार्ड कॉपी सम्बन्धित प्रगणक को समयानुसार भौतिक सत्यापन हेतु छावनी परिषद् आगरा द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

2. जो नागरिक 18 वर्ष की आयु 01 मार्च 2020 को पूर्ण कर चुके है तथा जो व्यक्ति छावनी क्षेत्र में निवास किऐ हुऐ छः माह की अवधि दिनांक 01 मार्च 2020 को पूर्ण कर चुके है वे व्यक्ति वोटर बनने के लिए अधिकारी है और उनका नाम भौतिक सत्यापन के पश्चात् नाम सम्मिलित किये जा सकते है।

3. सैनिक क्षेत्र में निवास कर रहे अधिकारी/कर्मचारी व उनके परिवार से सम्बन्धित सूची/यूनिट लाईन विवरण स्थानीय मुख्यालय से प्राप्त होने पर आपको समयानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। अतः आर्मी क्षेत्र में किसी भी प्रगणक को नहीं जाना है।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–09–2016 में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार अतिक्रमण निर्माण अर्थात् सरकारी भूमि पर निवास कर रहे व्यक्तियो/परिवार का नाम वोटर लिस्ट में अंकित नहीं किया जायेगा। कार्यालय में उपलब्ध कुछ क्षेत्रों की अतिक्रमण की सूची सम्बन्धित प्रगणक को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वोटर लिस्ट का कार्य 30 जून 2020 तक पूर्ण करके कार्यालय में जमा कराना है। वोटर लिस्ट की सभी ऐंट्री कम्प्यूटर के द्वारा तैयार की जायेगी। प्रगणक अपना–अपना कार्य करके कम्प्यूटर पर एन्ट्री करके देगें। तथा 30 जून 2020 को अवश्य ही प्रत्येक प्रगणक कम्प्यूटर से तैयार लिस्ट तैयार कराके जमा कराना सुनिश्चित करें व प्रत्येक प्रगणक तैयार लिस्ट के प्रत्येक पेज पर अपने–अपने हस्ताक्षर भी करेंगे।

6. उक्त कार्य हेतु नियमानुसार मानदेय भुगतान किया जायेगा। प्रत्येक प्रगणक व सुपरवाइज़र, पारदर्शिता, ईमानदारी व जिम्मेदारी के साथ उक्त आदेश का पालन सुनिश्चत करें।

ज्योति कपूर

(ज्योति कपूर, आई०डी०ई०एस)
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद् आगरा

प्रतिलिपीः–

1. कार्यालय आदेश पुस्तिका
2. सम्बन्धित प्रगणक
3. सम्बन्धित सुपरवाईजर
4. छावनी अभियन्ता ——→ छावनी क्षेत्र के वर्तमान में स्थित अतिक्रमण की वार्ड वाइज़ सूची दिनांक 01.6.2020 तक सुपरवाइजर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. नोटिस बोर्ड
5. अध्यक्ष छावनी परिषद्, आगरा – कृपया सूचनार्थ।
6. स्टेशन हैड क्वाटर, आगरा छावनी – कृपया छावनी क्षेत्र में स्थित समस्त यूनिट/बैरक/आफीसर, सैनिक व असैनिक आवासीय क्वाटरर्स की लिस्ट संलग्न प्रपत्र सहित दिनांक 31.05..2020 तक अवश्य ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7. CP: For loading on office website please.